प्रभात खबर \ मुजफ्फरपुर

मुजफ्फरपुर, शनिवार, 12 दिसंबर, 2015
www.prabhatkhabar.com 09

किसान चैनल से मिलेगी लीची की सुरक्षा की जानकारी

संवाददाता, मुजफ्फरपुर/मुशहरी

- आइसीएआर के गवर्निंग कमेटी सदस्य रत्नेश्वरी प्रसाद सिंह ने लिया जायेगा
- राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में किया निरीक्षण, जाना हाल
- कहा, अभी से पहल करें ताकि लीची न हो फंगस और पिल्लू का शिकार

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) के गवर्निंग कमेटी के सदस्य व किसान प्रतिनिधि रत्नेश्वरी प्रसाद सिंह ने शुक्रवार को राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र का भ्रमण किया. उन्होंने प्रक्षेत्र, पौधशाला और प्रयोगशाला का जायजा लिया.

यहां के शोध व विकास कार्यों की जानकारी ली. आगामी बोर्ड की बैठक में लीची से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय फलक पर रखा जा सके. उन्होंने कहा, इस वर्ष मुजफ्फरपुर की लीची फंगस और पिल्लू के कारण बरबाद हो गई थी. किसी भी हालत में इस बार बीमारियों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए.

इसके लिए अभी से ही तैयारी करें. कीट-व्याधियों का प्रकोप न हो इसके लिए अभी से ही काम करना शुरू करें. लीची की गुणवत्ता में सुधार के बाद किसानों की माली हालत में सुधार आयेगी. इसके लिए डीडी किसान चैनल पर भी कार्यक्रम होगा.

किसानों को चैनल के माध्यम से लीची की सुरक्षा की जानकारी दी जायेगी.

बैठक करते आइसीएआर की गवर्निंग कमेटी सदस्य आर पी सिंह व अन्य

लीची अनुसंधान केंद्र में पहुंचने पर अधिकारियों ने श्री सिंह का स्वागत किया गया. उन्हें शोध कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने वैज्ञानिकों व अधिकारियों के साथ बैठक लीची के क्षेत्र व गुणवत्ता विकास पर चर्चा की. मौके वरीय वैज्ञानिक शेषधर पांडेय, डॉ एस के पूर्वे, डॉ अमरेंद्र कुमार, डॉ गोपाल कुमार, डीडी किसान चैनल के जिला मॉनीटर नीरज नयन, रामजी गिरी आदि थे. फिर श्री सिंह तिरहुत कृषि महाविद्यालय ढोली चले गये. यहां पर औचक निरीक्षण किया. शनिवार को आगे का कार्यक्रम होगा. जानकारी हो कि पूसा विवि दिल्ली में एक दिसंबर को आइसीएआर की बैठक हुई थी. जिसमें मुजफ्फरपुर के लीची के मुद्दे पर विमर्श हुआ था.

कांटी के हरियाली कृषि केंद्र का लाइसेंस निलंबित

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

- दुकानदार के कारोबार पर भी लगायी रोक
- विभाग ने दुकानदार से मांगा स्पष्टीकरण
- जांच के दौरान कागज नहीं दिखाया

कांटी प्रखंड के नरसंडा चौक स्थित हरियाली कृषि केंद्र का लाइसेंस निलंबित कर दिया है. कृषि विभाग ने यह कार्रवाई जांच के दौरान व्यापार का कागज नहीं दिखाने और जांच अधिकारी को असहयोग करने के आरोप में किया है. कृषि विभाग ने दुकान के व्यापार पर रोक लगा दिया है. जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि दुकानदार से स्पष्टीकरण की मांग की गई है. सही जवाब नहीं देने पर लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है. अनियमितता की सूचना पर कांटी बीएओ ने दुकान की जांच आठ दिसंबर को की थी. औचक निरीक्षण के दौरान उर्वरक बिक्री से संबंधित स्टॉक पंजी, बिक्री पंजी, क्रय इन्वायस, बिक्री विपत्र दुकानदार ने उपलब्ध नहीं कराया. जांच के बाद बीएओ ने डीएओ सुधीर कुमार को रिपोर्ट भेज दी. डीएओ ने अनियमितता पाये जाने के बाद उर्वरक प्राधिकार पत्र को निलंबित कर दिया है. कारोबार पर रोक लगातार हुए स्पष्टीकरण मांगा है.